श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 6 जनवरी, 2020

संख्या श्रम (ए) 2–1/2018 बी.ओ.सी.डब्ल्यू.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञ समिति के परामर्श के पश्चात, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4–6/2007–बी.ओ.सी.डब्ल्यू तारीख 4 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 271 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है), के नियम 271 के, विद्यमान उपबन्ध को (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

(2) बोर्ड रजिस्ट्रीकृत महिला सन्निर्माण कर्मकारों को दो प्रसवों तक, इस प्रभाव के विधिमान्य दस्तावेज के प्रस्तुत करने के अध्यधीन, समय–समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से 90 दिन से 26 सप्ताह तक के लिए मातृत्व अवकाश के लिए रकम मंजूर और संदत्त कर सकेगा, और ;

(3) बोर्ड रजिस्ट्रीकृत सन्निर्माण कर्मकार की पत्नी को दो प्रसवों तक छः हजार रुपये प्रति प्रसव की रकम मंजूर और संदत्त कर सकेगा, जो इस बाबत किसी सरकारी योजना से प्राप्त अन्य प्रसुविधा के अतिरिक्त होगी।"।

3. **नियम 273 का संशोधन.**–'उक्त नियमों' के नियम, 273 के उप–नियम, (5) में, "केवल 500/– (पांच सौ) रुपये" शब्दों, अंको और चिन्हों के स्थान पर "केवल 1000/– (एक हजार) रुपये" शब्द, अंक, और चिन्ह रखे जाएंगे तथा "केवल 20/– (बीस) रुपये" शब्दों, अंकों और चिन्हों के स्थान पर "केवल 50/– (पचास) रुपये" शब्द, अंक, और चिन्ह रखे जाएंगे।

4. **नियम 278 का संशोधन.**–'उक्त नियमों' के नियम, 278 के उप–नियम (1) में, "₹ 2,00,000/– (दो लाख रुपये केवल)" शब्दों, अंकों, और चिन्हों के स्थान पर "₹ 4,00,000/– (चार लाख रुपये केवल) रुपये" शब्द, अंक और चिन्ह, रखे जाएंगे तथा "₹ 1,00,000/– (एक लाख रुपये केवल)" शब्दों, अंकों, और चिन्हों के स्थान पर "₹ 2,00,000/– (दो लाख रुपये केवल)" शब्द, अंक, और चिन्ह रखे जाएंगे।

5. **नियम 280 का प्रतिस्थापन.**–'उक्त नियमों' के नियम, 280 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(1) हिताधिकारियों के लिए चिकित्सा सहायता.–

बोर्ड, कार्डिक और कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज, जेनिटो यूरिनरी सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन ऑनकोलोजी, ट्रामा, ट्रान्सप्लांट सर्जरीज़, स्पाइनल सर्जरीज़, सर्जिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी, हीमोफीलिया

Scanned by CamScanner

और कैंसर आदि रोगों के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती रोगी की दशा में हिताधिकारी सदस्यों की भर्ती और शल्य प्रक्रिया के व्ययों की पूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और पी0 जी0 आई0 चण्डीगढ़ में संकटपूर्ण (क्रिटिकल) उपचार के लिए केवल ₹ 5,00,000/– (पांच लाख रुपये) तक की रकम मंजूर कर सकेगा।

(2) बोर्ड, हिताधिकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी अस्पतालों, औषधालयों और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य अस्पतालों से, चिकित्सा बिलों को प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष, बह्म चिकित्सा उपचार के लिए ₹ 50,000/– (पचास हजार रुपये केवल) और अन्तरंग उपचार के लिए ₹ 1,00,000/– (एक लाख रुपये केवल) तक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता मंजूर कर सकेगा।

(3) बोर्ड रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों/हिताधिकारियों और उनके आश्रितों की स्वास्थ्य जांच राज्य में विभिन्न कार्यस्थलों पर औषधियों के पर्याप्त स्टॉक और आवश्यक अपेक्षित उपस्कर वाले चिकित्सकों/दंत चिकित्सकों और सह–चिकित्सा (पैरा मैडिकल) कर्मचारीवृन्द युक्त राज्य के सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों के माध्यम से संचालित करवा सकेगा। महिला कर्मकारों की स्वास्थ्य जांच के लिए विशेष प्राथमिकता दी जा सकेगी। परिवहन प्रभार, परामर्श शुल्क, औषधि व्यय और प्रयोगशाला प्रभार आदि सहित व्यय को यदि अपेक्षित हो, हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।"।

6. नियम 281 का संशोधन.–'उक्त नियमों' के नियम, 281 में विद्यमान उपबन्ध को (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(2) लड़कियों की दशा में दो लड़कियों तक की शिक्षा के लिए प्रति लड़की हिताधिकारियों को "शिक्षा प्रोत्साहन योजना" निम्नलिखित दरों पर प्रदान की जाएगी :–

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम स्तर/मानदण्ड	रकम रुपए में (प्रतिवर्ष)
1.	पहली से आठवीं स्तर तक	7,000.00
2.	नौवीं से 10+2 स्तर तक	10,000.00
3.	**स्नातक कक्षाएं :**	
	(i) कला स्नातक	15,000.00
	(ii) बी.एस.सी./बी.कॉम./बी.बी.ए. या इसके समतुल्य	15,000.00
4.	**स्नातकोत्तर :**	
	(i) कला और वाणिज्य स्ट्रीम	20,000.00
	(ii) विज्ञान स्ट्रीम	20,000.00
5.	**डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि :** एक वर्ष से तीन वर्ष	20,000.00
6.	व्यवसायिक पाठ्यक्रम/उपाधियां	35,000.00
7.	पी.एच.डी. अनुसंधान पाठ्यक्रम	35,000.00"

उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड, निम्नलिखित शिक्षा वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगा :–

(i) हिताधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम, पी.एच.डी. अनुसंधान पाठ्यक्रम से संबंधित उपगत व्यय जैसे प्रवेश फीस/ट्यूशन फीस/हॉस्टल फीस/बोर्डिंग प्रभार आदि का प्रतिदाय करने के लिए प्रतिवर्ष प्रति बच्चा (दो बच्चों तक) अधिकतम एक लाख रुपये की रकम हिताधिकारियों के बच्चों को, दो बच्चों तक।

(ii) अधिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन दसवीं और बारहवीं के उन प्रतिभाशाली छात्रों को, जो 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, क्रमशः 25,000/– रुपये और

Scanned by CamScanner

35,000/– रुपये और किसी भी स्ट्रीम में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों सहित स्नातक की परीक्षा पास करने पर 50,000/– रुपये की नकद रकम प्रतिछात्र छात्रवृत्ति ।

(iii) हिताधिकारियों के बच्चों को, दो बच्चों तक, 50 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता वाले बच्चों को पहली से आठवीं कक्षा तक 5000/– रुपये, नौवीं से बारहवीं तक 10,000/– रुपये, स्नातक या इसके समतुल्य उपाधि या डिप्लोमाधारक को 15,000/– रुपये, स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य उपाधि या डिप्लोमा धारक को 25,000/– रुपये और व्यवसायिक डिग्री या पी.एच.डी. धारक को 35,000/– रुपये की प्रतिवर्ष विशेष शिक्षा प्रसुविधा।

(iv) बोर्ड विधिमान्य दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन, राज्य स्तरीय/अन्तरमहाविद्यालय उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रति राज्य प्रतियोगिता के लिए 10,000/– रुपये और राष्ट्रीय/अन्तरविश्वविद्यालय स्तरीय खिलाड़ी को प्रति राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 25,000/– रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगा।"।

7. नियम 283(क) का प्रतिस्थापन.–'उक्त नियमों' के नियम, 283(क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"बोर्ड, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को, ऐसे स्थानों में जहां कहीं अपेक्षित हो, चल (मोबाईल) शौचालय और चल (मोबाईल) शिशु सदन उपलब्ध करवा सकेगा, इसके रख–रखाव आदि सहित समस्त व्यय बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।"।

8. नियम 283(च) का प्रतिस्थापन.–'उक्त नियमों' के नियम, 283(च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

283(च) हिताधिकारियों के लिए कम्बल, हॉट केस, टिफिन और स्टील डिनर सैट:–

बोर्ड, नियन्त्रक, भण्डार हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित दर संविदा पर एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में हिताधिकारी को, उनके आश्रितों को चार से अनधिक कम्बलों सहित, प्रत्येक को एक एकल बिस्तर कम्बल (सिंगल बैड ब्लैंकट), ऑफलाइन वाटर फिल्टर, हॉट केस टिफिन और स्टील डिनर सैट उपलब्ध करवा सकेगा। यह प्रसुविधा प्रति परिवार केवल एक बार प्रदान की जाएगी। हिताधिकारी द्वारा इस सहायता के लिए आवेदन अपेक्षित दस्तावेजों सहित प्रारूप संख्या XLVIII में बोर्ड के सचिव या प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।"।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/–
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)2-1/2018 BOCW dated 6th January, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

LABOUR &EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 6th January, 2020

No. Shram (A)2-1/2018 BOCW.—In exercise of powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Governor, Himachal Pradesh, after consultation with the Expert Committee, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other

Scanned by CamScanner

Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, notified vide this Department's Notification No. Shram(A)4-6/2007-BOCW dated 4th December, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 8th December, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 271.— In rule 271 of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the 'said rules'), the existing provision shall be numbered as (1) and thereafter the following shall be inserted namely:—

(2) the Board may sanction and pay amount for maternity leave to registered female construction workers ranging from 90 days to 26 weeks for upto two deliveries at the rate of minimum wages prevailing from time to time subject to the production of valid documents to this effect, and;

(3) The Board may sanction and pay amounting to Rs. 6000/ per delivery for upto two deliveries to the wife of the registered construction workers, which will be in addition to another benefit received from any Government Scheme in this regard.".

3. Amendment of rule 273.—In sub-rule (5) of the rule 273 of the 'said rules', for the signs, figures and words "Rs. 500/- (Five Hundred rupees) only", the signs, figures and words "₹ 1000/- (Rupees one thousand) only", and for the signs, figures and words "Rs. 20/- (Rupees twenty) only", the signs, figures and words "₹ 50/- (Rupees fifty) only", shall be substituted.

4. Amendment of rule 278.—In sub-rule (1) of the rule 278 of the 'said rules', for the signs, figures and words "₹ 2,00,000/- (Rupees two lac) only" the signs, figures and words "₹ 4,00,000/- (Rupees four lac) only", and for the signs, figures and words "₹ 1,00,000/- (Rupees one lac) only", signs, figures and words "₹ 2,00,000/- (Rupees two lac) only", shall be substituted.

5. Substitution of rule 280.— For rule 280 of the 'said rules', the following shall be substituted, namely:—

"*(1) Medical Assistance to beneficiaries.*— The Board may sanction an amount upto Rs. 5,00,000/- only for critical care to be undertaken in all the Government Medical Colleges in H.P. and PGI Chandigarh for meeting the expenses of hospitalization and surgical procedure of beneficiary members in case of hospitalization for treatment of Cardiac and Cardiothoracic Surgeries, Genito Urinary Surgery, Neurosurgery, Radiation Oncology, Trauma, Transplant Surgeries, Spinal Surgeries, Surgical Gastroenterology, Haemophilia and Cancer etc. diseases.

(2) The Board may annually sanction a financial assistance for medical reimbursement to beneficiary and his dependents, upto 50,000/- (Rs. Fifty Thousand only) for outdoor medical treatment and upto 1,00,000/- (Rs. One Lac only) for indoor medical treatment, on production of medical bills from Government Hospitals, dispensaries and other hospitals approved by the Government of Himachal Pradesh.

Scanned by CamScanner

(3) The Board may conduct health check-ups of the registered workers/beneficiaries and their dependents through Government empanelled Hospitals consisting of Doctors/Dentists and para medical staff having adequate stock of medicines and necessary required instruments at different work site in the State. The special priority of medical check-up may be given to the female workers. The expenditure including transportation charges, consultation fees, cost of medicine and lab test charges etc. shall be borne by the Himachal Pradesh Building & Other Construction Workers Welfare Board, if required.".

6. Amendment of rule 281.—In rule 281 of the 'said rules', the existing provision shall be numbered as (1) and thereafter, the following shall be inserted, namely:—

"(2) In the case of girls "Shiksha Protsahan Yojna" for education upto two girl children per girl child of the beneficiaries shall be provided at the following rates: —

Sl. No.	Course of study Level/ Standard	Amount In ₹ (per annum)
1.	1st to 8th standard	7,000.00
2.	9th to 10+2 standard	10,000.00
3.	**Graduation classes:**	
	(i) Bachelor of Arts	15,000.00
	(ii) B.Sc/B.Com./BBA or its equivalent	15,000.00
4.	**Post Graduation:**	
	(i) Arts and Commerce Stream	20,000.00
	(ii) Science Stream	20,000.00
5.	**Diploma Courses duration of:**	
	One year to Three Years	20,000.00
6.	Professional courses/Degrees	35,000.00
7.	Ph.D, Research Courses	35,000.00".

In addition to above, the Board may provide the following education financial assistance :–

(i) An amount upto the maximum limit of Rs. 1.00 lac per annum to refund the expenditure borne by beneficiary in connection with the professional courses, Ph.D. Research Courses per child (upto two children) like admission fee/tuition fee/hostel fee/boarding charges etc. subject to the production of authentic documents.

(ii) The scholarship per student to the child of the beneficiaries upto two children in cash an amount of Rs. 25,000/- and Rs. 35,000/- for those meritorious students of standard 10^{th} & 12^{th} respectively who obtain 75% or above marks and an amount of Rs. 50,000/- for passing out the Graduation in any stream with 60% or above marks subject to the production of authentic document.

(iii) Special Education benefits to the child with 50% disability or above upto two children of the Beneficiaries per annum for Ist to 8th Class amounting to Rs.5000/-, 9th to 12^{th} Rs.10000/-, B.A or its equivalent Degree or diploma Rs.15,000/-, M.A. or its equivalent Degree or Diploma to Rs. 25,000/- and Professional Degree or Ph.D to Rs. 35,000/-.

(iv) The Board may provide financial assistance to the outstanding sportsman an amount of Rs. 10,000/- to the State level/Inter College Player per state competition and to Rs. 25,000/- to National/Inter University Level Player per National Competition subject to the production of valid document/certificate.".

Scanned by CamScanner

7. Substitution of rule 283(A).—For rule 283(A) of the 'said rules' the following rule shall be substituted, namely:--

"The Board may provide Mobile Toilets and Mobile Creches to the registered Building & Other Construction Workers in such places wherever required.

All the expenditure including its maintenance etc. may be borne by the Board.

8. Substitution of rule 283(F).—For rule 283(F) of the 'said rules' the following shall be substituted, namely:—

"283 (F) Blankets, Hot Case, Tiffin and Steel Dinner Set for beneficiary.—The Board may provide One Single Bed Blanket for each including their dependents not more than Four Blankets, Offline Water Filter, Hot Case Tiffin and Steel Dinner set to the beneficiary as a onetime incentive on rate contract approved by the Controller of Stores Himachal Pradesh. This benefit will be provided only once per family. The application for this assistance shall be submitted by the beneficiary to the Secretary or authorized officer of the Board in form No. XLVIII alongwith requisite documents."

By order,

Sd/-
Addl. Chief Secretary,
(Labour & Employment).

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

ADDENDUM

Dated, the 7th January, 2020

File No. Shram (A)2-1/2018-BOCW.—In the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment & Conditions of Service), amendment Rules, 2020 issued *vide* this department notification of even number dated 6th January, 2020, the words "Some other Government authorized agency" may be added after "Controller of Stores, Himachal Pradesh" in amendment at Sl. No. 8 under the heading "Substitution of rule 283(F)".

By order,

Sd/-
Addl. Chief Secretary (LEP).

Scanned by CamScanner